



भारतीय तटरक्षक
भर्ती निदेशालय
सी-1, फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र
सैक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201309

फोरमैन ऑफ स्टोर की भर्ती

आवेदन प्रारंभ की तिथि	06 दिसंबर 25
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	20 जनवरी 26

1. भारतीय तटरक्षक निम्नलिखित रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से **अनुलग्नक-1** पर दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है :-

1.1 पद का नाम: फोरमैन ऑफ स्टोर, सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय
वेतन मैट्रिक्स (रु. 35400 – 112400/-) में लेवल -06।

1.2 श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:

क्र.	श्रेणी	रिक्तियों की संख्या
	क.	ख.
1.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस)	1
2.	अनुसूचित जाति (अजा)	1
कुल		2

1.3 तैनाती का स्थान : 01 पद ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तथा 01 पद अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित ।

नोट:-

- उपर्युक्त दर्शायी गई रिक्तियां अस्थायी है तथा सेवा की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं।
- सेवा की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति का स्थान भी परिवर्तित हो सकता है।
- अभ्यर्थी, यदि चयनित होते हैं, तो भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।**

2. पात्रता मापदंड

2.1 शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री।

तथा

अनुभव: केंद्र सरकार/राज्य सरकार या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंक या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर को संभालने एवं स्टोर के खाते के रख-रखाव का एक वर्ष का अनुभव

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या वेयरहाउस प्रबंधन या क्रय या सार्वजनिक रसद खरीद में डिप्लोमा।

तथा

अनुभव: केंद्र सरकार/राज्य सरकार या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंक या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निजी क्षेत्र के संगठन में स्टोर को संभालने एवं स्टोर के खाते के रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव।

2.2 आयु सीमा तथा आयु में छूट

2.2.1 30 वर्ष से अधिक नहीं।

2.2.2 आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट।

2.2.3 केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।

नोट:- आयु सीमा की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **20 जनवरी 26** के अनुसार की जाएगी।

3. फोरमैन ऑफ स्टोर के कार्य:-

3.1 भंडार गृह का संरक्षक।

3.2 स्वयं के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का पर्यवेक्षण।

3.3 लेजर/फोलियो की लेखापरीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारी की सहायता करना तथा लेखापरीक्षा प्राधिकारी के साथ संपर्क करना।

3.4 भंडार गृह में सभी वस्तुओं का इन्वेंटरी नियंत्रण तथा स्कैप का निपटान।

3.5 कुशल एवं प्रभावी सामग्री प्रबंधन के लिए गोदाम में सामान जारी करने एवं प्राप्त करने के लिए हैंडलिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण करना।

4. **आवेदन कैसे करें.** आवेदन पत्र **अनुलग्नक-I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार अंग्रेजी अथवा हिंदी में भरा जाना चाहिए। विधिवत स्व सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ चिपकाये हुए आवेदन पत्र के साथ नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों की फोटो प्रतियां नाम एवं तारीख के साथ विधिवत स्व सत्यापित होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए।

4.1 आधार कार्ड।

4.2 मैट्रिक (दसवीं) या समकक्ष की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र।

4.3 उपर्युक्त पैरा 02 में उल्लिखित आवश्यक योग्यता के अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र।

4.4 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम श्रेणी प्रमाण पत्र {अजा//ईडब्ल्यूएस}।

4.5 उपर्युक्त पैरा 02 में उल्लिखित अनुभव प्रमाण पत्र।

4.6 वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

4.7 पासपोर्ट आकार की 02 नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ।

4.8 आवेदकों को स्व-पता लिखे एक अलग रिक्त लिफाफे पर रु. 50/- के पोस्टल स्टैम्प चिपकाकर आवेदन पत्र के साथ भेजना है।

नोट :-

1. उपर्युक्त सभी दस्तावेज आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात् **20 जनवरी 26** या उससे पूर्व जारी होने चाहिए।

2. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप अनुलग्नक – II, III एवं IV पर दिये गए हैं।

3. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होना चाहिए।

5. विधिवत भरा गया आवेदन पत्र उपर्युक्त पैरा 04 के अनुसार सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 45 दिन की अवधि में अर्थात् **20 जनवरी 26** तक साधारण डाक द्वारा निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से एवं कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

महानिदेशक {कृते प्रधान निदेशक (भर्ती)}
तटरक्षक मुख्यालय
भर्ती निदेशालय
सी-1, फेज-II, औद्योगिक क्षेत्र
सैक्टर - 62, नोएडा
उत्तर प्रदेश - 201309

6. चयन का तरीका

6.1 **आवेदनों की जाँच.** अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी आवेदनों में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेजों एवं पात्रता मानदंडों की जाँच की जाएगी एवं केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जिनके आवेदन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आवेदन के साथ संलग्न लिफाफे में डाक द्वारा भेजे जाएंगे तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की एक सूची भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी।

6.2 **दस्तावेज सत्यापन.** शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थी जिनको प्रवेश पत्र जारी किया गया है, को दस्तावेज सत्यापन से गुजरना होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए निर्देशों/निर्देशों के अनुसार अपने मूल दस्तावेज तथा इन दस्तावेजों की स्व- सत्यापित फोटो प्रतियाँ (02 सेट) लाना होगा। सभी दस्तावेज आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात् **20 जनवरी 26** से पूर्व जारी होने चाहिए।

6.3 **लिखित परीक्षा.** सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा पेन-पेपर आधारित होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र (द्विभाषी) में 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पैटर्न एवं प्रश्न पत्र के लिए अंक योजना आगे के पैराग्राफों में दी गई है।

6.4 परीक्षा की सही तिथि/समय एवं स्थान शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को जारी किए प्रवेश पत्र पर सूचित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र कोलकाता एवं पोर्ट ब्लेयर में होंगे अभ्यर्थी आवेदन पत्र में परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं।

6.5 लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार मेरिट पोजीशन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा आवश्यक निर्देशों के साथ भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

7. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा प्रति विषय प्रश्नों की संख्या निम्नवत है :-

7.1 लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम.

7.1.1 **गणित:-** गणितीय सरलीकरण, अनुपात एवं समानुपात, ब्याज, लाभ हानि एवं प्रतिशतता, कार्य, समय, चाल एवं दूरी, सरल क्षेत्रमिति, केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप (औसत, माधिका बहुलक) आदि ।

7.1.2 **English :-** Passage, Preposition, Correction of sentences, Change active to passive/passive to active voice, Change direct to indirect/indirect to

direct, Verbs /Tense / Non Finites, Punctuations, Substituting phrasal verbs for expression, Synonyms and Antonyms, meaning of difficult words, Use of adjectives, Compound preposition.

7.1.3 सामान्य जागरूकता:- भूगोल : मृदा, नदियाँ, पर्वत, पत्तन, अंतर्देशीय, बंदरगाह, संस्कृति एवं धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, विरासत, कला एवं नृत्य , इतिहास, रक्षा, युद्ध एवं पड़ोसी, पुरस्कार एवं लेखक, खोजें, रोग एवं पोषण, समसामयिक मुद्दे, भाषाएँ, राजधानी एवं मुद्राएँ, सामान्य नाम, पूर्ण रूप और संक्षिप्ताक्षर, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राष्ट्रीय पक्षी/ पशु/ खेल/पुष्प/राष्ट्रगान/ गीत/ ध्वज/पर्वत/ क्रीडा : प्रतियोगिताएं/ विजेता/ टर्म्स/ खिलाड़ियों की संख्या/ सामान्य विज्ञान आदि।

7.1.4 तर्कशक्ति:- स्थानिक, संख्यात्मक तर्कशक्ति और साहचर्य क्षमता, तार्किक तर्कशक्ति अनुक्रम, अक्षर विन्यास सुलझाना (स्पेलिंग अनस्कैबलिंग), कोडिंग, डिकोडिंग, बैठने की व्यवस्था, रक्त संबंध, असमानता, निर्णय क्षमता, इनपुट-आउटपुट।

7.1.5 पद से संबंधित प्रश्न:- आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में अपनाई जाने वाली मानक प्रथाएँ, आपूर्ति एवं सामग्रियों की प्राप्ति, भंडारण, मांग एवं वितरण में प्रयुक्त प्रक्रियाएँ तथा उपकरण, भंडार एवं संबंधित दस्तावेजों के लिए खाता-बही (लेजर) का रख-रखाव आदि।

7.2 लिखित परीक्षा का प्रतिरूप.

क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	अवधि	उत्तीर्ण अंक
	क.	ख.	ग.	घ.	ङ
1.	गणित (अंकगणित)	15	15	01 घंटा	ईडब्ल्यूएस-40
2.	मानसिक योग्यता/ तर्क शक्ति	15	15		
3.	सामान्य जागरूकता	15	15		अजा - 36
4.	अंग्रेजी	15	15		
5.	पद से संबंधित प्रश्न	20	20		
कुल		80	80		

8. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:-

8.1 पद के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता एवं अन्य मानदंडों को पूर्ण करते हैं। गलत/असत्य सूचना प्रस्तुत करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा और ऐसी गलत/असत्य जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी किसी भी परिणाम के लिए भारतीय तटरक्षक उत्तरदायी नहीं होगा।

8.2 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई जानकारी असत्य पायी जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती के बाद या भारतीय तटरक्षक में शामिल होने के बाद भी ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

8.3 यह अनिवार्य है कि आवेदन भेजे जाने वाले लिफाफे पर ऊपर की ओर पद का नाम स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में **"फोरमैन के पद के लिए आवेदन"** तथा जिस श्रेणी में आवेदन किया जा रहा है अर्थात् **ईडब्ल्यूएस/अजा** लिखा जाए। इस प्रकार से नहीं लिखे गए लिफाफे वाले आवेदन सरसरी तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे।

8.4 **निम्नलिखित कमियों वाले आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे:-**

8.4.1 अपूर्ण आवेदन

8.4.2 आवेदक, आवेदन प्राप्त होने के अंतिम दिन विज्ञापन में उल्लिखित आयु सीमा से अधिक का पाया गया है।

8.4.3 ओवरराइटिंग/काँट-छाँट/सुधार/संलग्नकों के अनुसार गलत जानकारी।

8.4.4 फोटोग्राफ नहीं चिपकाया गया हो

8.4.5 उपर्युक्त पैरा 04 में सूचीबद्ध दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटो प्रतियाँ संलग्न नहीं पाई गई।

8.4.6 **एक अलग स्व-पता लिखा रिक्त लिफाफा जिस पर 50 रुपए के पोस्टल स्टैम्प चिपके हों, आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं होने पर।**

8.5 सरकारी विभागों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होने की नियत तिथि से पहले उचित माध्यम से अग्रेषित करना चाहिए।

8.6 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सरकारी नियमों के अनुसार सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी के रेल/बस किराए के हकदार है तथा परीक्षा स्थल पर टिकट जमा करने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। उपर्युक्त रियायत अनुसूचित जाति के उन अभ्यर्थियों के लिए स्वीकार्य नहीं है जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में हैं या जिनका परीक्षा केंद्र उनके निवास स्थान से 30 किमी से कम की दूरी पर है।

8.7 केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने/अहर्ता प्राप्त करने से अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है जब तक कि वह पात्रता मानदंड को पूर्ण नहीं करता।

8.8 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए नियमित रूप से भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट **www.indiancoastguard.gov.in** देखते रहें।

(रमण कुमार)
समादेशक
भर्ती निदेशालय
भारतीय तटरक्षक



अनुलग्नक-1

भारतीय तटरक्षक
भर्ती निदेशालय
सी-1, फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र
सैक्टर-62, नोएडा, उ.प्र. - 201309

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटोग्राफ
चिपकाएँ

रिक्ति वर्ष 2025 के लिए

फोरमैन ऑफ स्टोर (समूह 'ख' अराजपत्रित) के पद के लिए आवेदन

आवेदन किए गए पद का नाम _____

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. जन्मतिथि (क्रिश्चियन एरा में) :
3. पिता का नाम :
4. स्थायी पता :
5. पत्राचार का पता (पिनकोड के साथ) :
6. आधार नं. :
7. 7.1 शैक्षणिक योग्यता :

क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा क.	उत्तीर्ण करने का वर्ष ख.	श्रेणी/अंकों का प्रतिशत ग.	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम घ.

7.2 अनुभव वर्ष (संबंधित क्षेत्र में) :

8. लिंग (पुरुष/स्त्री) :

9. आवेदित श्रेणी:-

ईडब्ल्यूएस. ☐ अजा. ☐

10. पहचान चिह्न:-

10.1-----

10.2 -----

11. क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ/नहीं ----

यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित विवरण दीजिए:-

संगठन का नाम एवं पता	केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	धारित पद का नाम एवं वेतनमान	सेवा ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि
क.	ख.	ग.	घ.	ङ.

12. आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेजों की सूची (लागू होने के अनुसार):

क्र.	दस्तावेज का शीर्षक	प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक
	क.	ख.
1	मैट्रिक (दसवीं) की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र	
2	इंटरमीडिएट (बारहवीं) की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र	
3	डिप्लोमा अंकतालिका (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर) एवं प्रमाण पत्र	
4	स्नातक अंकतालिका (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर) एवं प्रमाण पत्र	
5	स्नातकोत्तर अंकतालिका (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर) एवं प्रमाण पत्र	
6	अनुभव प्रमाण पत्र	

7	श्रेणी प्रमाण पत्र { ई डब्ल्यू एस/ अजा }	
8	नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	
9	आधार कार्ड (उपर्युक्त क्र.06 में दिए अनुसार)	
10	दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटोग्राफ	-----
11	50 रुपए के पोस्टल स्टैप चिपकाया हुआ रिक्त लिफाफा	

13. ई-मेल:

14. मोबाइल:

15. परीक्षा केंद्र: कोलकाता ☐ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ☐

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। किसी भी समय किसी भी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द की जा सकती है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जन्म से/अधिवास (मूल निवास) से भारत का/की नागरिक हूँ।

2. मैंने अपने प्रधान कार्यालय/विभाग को लिखित में सूचित कर दिया है कि मैं पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रही हूँ। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है (जहाँ कहीं लागू हो)।

बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

निर्धारित प्रारूप

प्रारूप-I

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*

पुत्र/पुत्री निवासी
ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग*
.....राज्य/संघ क्षेत्र*केजाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित
के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणांचल राज्य अधिनियम, 1986, एवं गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987]

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976*द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@ संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978
- @ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम ,1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश ,1991
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम ,1991
- @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिआदेश (संशोधन) अधिनियम ,2002
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम ,2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम ,2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम ,2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*के
माता/पिता श्री/श्रीमती निवासी

ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग* राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र* को जारी किए गए अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो
.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो दिनांक
..... द्वारा जारी राज्य /संघ
राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग* राज्य/संघ
राज्य

क्षेत्र में रहता है।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश*

*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः रहते हैं" का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त /डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

*(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव /विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या.....

दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री/.....
 ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील---
 -----जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं , जिनकी
 फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में
 इनके परिवार ** की कुल वार्षिक आय * रु. 08.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के
 स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति *** नहीं है:-

- I. 05 एकड़ या इससे अधिक की कृषिभूमि।
- II. 1000 वर्गफुट या इससे अधिक का आवासीय प्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति,
 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं (केन्द्रीय सूची)।

पासपोर्ट आकार
 का सत्यापित
 नवीनतम
 फोटोग्राफ

हस्ताक्षर..... (कार्यालय के मुहर सहित)

नाम

पदनाम.....

*नोट 1: सभी स्रोतों से अर्जित आय जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि।

** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और भाई-बहन (18 साल से कम उम्र के) के साथ -साथ उसके पति अथवा पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र पुत्र/पुत्री।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्तर निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" द्वारा अर्जित संपत्ति को संयोजित किया गया है।

ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। केवल नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा :-

- (क) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट//तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
- (ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
- (ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (घ) क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

2. प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी संबंधित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करेगा।

3. अभ्यर्थी द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण तिथि भारतीय तटरक्षक द्वारा विज्ञापित पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

4. निर्धारित प्रारूप के अलावा कोई भी प्रमाण पत्र एवं उपर्युक्त पैरा-01 में उल्लिखित प्राधिकारियों के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के कारण भारतीय तटरक्षक में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।